

## प्रेस विज्ञप्ति

संसदीय कार्य मंत्रालय लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने, अनुशासन की स्वस्थ आदतों को विकसित करने, भिन्न विचारों के प्रति सहिष्णुता विकसित करने और संसदीय कार्यचालन और प्रक्रियाओं से विद्यार्थी समुदाय को परिचित कराने के उद्देश्य से देश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में युवा संसद का आयोजन करता है।

2. संसदीय कार्य मंत्रालय शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के विद्यालयों, केंद्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में वर्ष 1966 से युवा संसद कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है। अभी तक, मंत्रालय के युवा संसद कार्यक्रम के तहत लगभग 8000 शैक्षणिक संस्थानों और 4,00,000 से अधिक विद्यार्थियों को इसमें शामिल किया गया है।

3. कार्यक्रम के दायरे को अब तक अछूते रहे वर्गों और स्थलों तक बढ़ाने के लिए, संसदीय कार्य मंत्रालय ने युवा संसद से संबंधित एक वेब-पोर्टल तैयार किया है। वेब-पोर्टल के माध्यम से, देश के सभी शिक्षण संस्थानों को युवा संसद कार्यक्रम के दायरे में लाने का लक्ष्य है।

4. संविधान दिवस मनाने के लिए पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर संविधान और मौलिक कर्तव्यों पर केंद्रित राष्ट्रीय स्तर के समारोह आयोजित किए जा रहे हैं और इन समारोहों के भाग के रूप में, 26 नवंबर 2019 को पूर्वाह्न 11.00 बजे केंद्रीय कक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली में एक विशेष समारोह आयोजित किया गया जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्यों ने भाग लिया। समारोह में प्रधान मंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में माननीय राष्ट्रपति ने वेब-पोर्टल का शुभारंभ किया।

5. देश के सभी मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थान, जो युवा संसद कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक हैं, उन्हें वेब-पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा।

पंजीकरण के पश्चात, वे अपने संबंधित संस्थानों में युवा संसद कार्यक्रम का संचालन कर सकेंगे। भाग लेने वाले विद्यार्थियों को डिजिटल "प्रतिभागिता प्रमाणपत्र" मिलेगा और प्रभारी-अध्यापकों/संस्थानों के प्रमुख को इस कार्यक्रम के लिए डिजिटल "प्रशस्ति प्रमाणपत्र" मिलेगा।

6. कार्यक्रम के आयोजन के लिए सभी आवश्यक मार्गदर्शन और अनुदेश पोर्टल <https://nyps.mpa.gov.in> पर उपलब्ध है।

7. यह पोर्टल देश के सभी भागों में युवा संसद के आयोजन के प्रधान मंत्री के स्वपन को साकार करेगा।